उत्तराखण्ड शासन

संस्कृति विभाग
उत्तराखण्ड

विभागीय नियमों, विधियों, शासनादेशों, कार्यालय ज्ञापों आदि का संकलन

उत्तराखण्ड शासन
संस्कृति, पर्यटन एवं खेल कूद अनुभाग–2
संख्या 193 /VI-I/2010–14 (सं0)/2002 टी.सी.
देहरादून : दिनांक 28 अक्टूबर, 2010

कार्यालय–ज्ञाप

राज्यपाल वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कला एवं संस्कृति तथा साहित्य की आराधना में लगा दिया परन्तु वृद्धावस्था व खराब स्वास्थ्य के कारण वे अपने जीविका उपार्जन में असमर्थ हो गये हैं, को मासिक पेंशन देने के उद्देश्य से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों को मासिक पेंशन नियमावली, 2010

1. संक्षिप्त नाम प्रारम्भ एवं विस्तार
(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों को मासिक पेंशन नियमावली,2010" है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
(3) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड होगा।

2. पेंशन हेतु पात्रता
(क) आवेदक द्वारा कला एवं संस्कृति तथा साहित्य के विकास में विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण योगदान किया हो अथवा उत्कृष्ट ख्याति अर्जित की हो अथवा उनके कार्य को उच्च कोटि की मान्यता मिली हो अथवा उत्तराखण्ड राज्य की संस्कृति को जीवत रखने का कार्य कर रहें हों।
(ख) आवेदक की आय समस्त स्रोतों से ₹ 3000.00 (रू0 तीन हजार) प्रतिमाह से अधिक न हो।
(ग) आवेदक उत्तराखण्ड का स्थाई निवासी हो।
(घ) आवेदक की आयु 60 (साठ) वर्ष से कम न हो।

3. मासिक पेंशन की धनराशि
मासिक पेंशन की धनराशि ₹ 3000/– (रूपये तीन हजार) से अधिक नही होगी। यह राशि शुद्ध (नेट) होगी और इस पर कोई महंगाई भत्ता व अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

4. पेंशन की अवधि
(कि) मासिक पेंशन से लाभान्वित महिला कलाकार/साहित्यकार की मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रित के रूप में उनके पति को तथा पुरूष कलाकार /साहित्यकार की मृत्यु के उपरान्त उनकी पत्नी को मृतक आश्रित के रूप में मासिक पेंशन का भुगतान किया जायेगा। उक्त दोनों की मृत्यु होने पर मृत्यु तिथि तक उनके पेंशन का अवशेष भुगतान उनके वैधानिक उत्तराधिकारी अथवा उनके द्वारा लिखित वसीयत के अनुसार किया जायेगा।

(ख) पेंशन प्राप्तकर्ता द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में जीवित होने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही पेंशन जारी रहेगी।

5. **आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया**

(क) इस नियमावली के अधीन पेंशन की स्वीकृति के लिए आवेदन पत्र इस नियमावली के अनुलग्नक में दिये गये प्रपत्र में निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड एम0डी0डी0ए0 कालोनी, चन्दर रोड़, डालनवाला देहरादून के कार्यालय में प्रेषित किया जायेगा, जिस पर निदेशक, संस्कृति द्वारा विहित नियमों के अन्तर्गत विचार किया जायेगा।

(ख) आवेदन पत्र के साथ (1) तहसीलदार से अन्यून श्रेणी के राजस्व विभाग के किसी अधिकारी से मासिक आय का प्रमाण–पत्र और (2) आयु का प्रमाण तथा (3) उत्तराखण्ड प्रदेश का स्थायी निवास प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

6. **पेंशन स्वीकृत करने की प्रकिया तथा अधिकार**

(क) पेंशन स्वीकृति हेतु प्रमुख सचिव/सचिव, संस्कृति की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे–

(1) वित्त विभाग का प्रतिनिधि, जो उपसचिव से अनिम्न स्तर का हो	सदस्य
(2) नियोजन विभाग का प्रतिनिधि, जो उपसचिव से अनिम्न स्तर का हो	सदस्य
(3) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड	सदस्य सचिव
(4) संगीत/नृत्य नाटक, ललित कला तथा साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र से एक–एक विशिष्ट व्यक्ति, जो शासन द्वारा तीन वर्ष के लिए नामित किये जायेंगे।	सदस्य

(ख) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड प्राप्त प्रार्थना पत्रों की आवश्यक जांच करके, जो प्रार्थना पत्र पूर्ण हों और जिनके आधार पर नियमानुसार पेंशन की स्वीकृति की जा सकती हों, समिति के सम्मुख अपनी संस्तुति के साथ विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे।

(ग) उक्त समिति प्रार्थना पत्रों की प्रविष्टियों तथा साक्षात्कार के आधार पर पेंशन स्वीकृत करने के सम्बन्ध में संस्तुति करेगी।

(घ) समिति की बैठक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम एक बार आहूत किया जाना आवश्यक होगा। समिति के सदस्य सचिव द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव संस्कृति विभाग की स्वीकृति से बैठक आहूत की जायेगी।

(च) शासन द्वारा इस नियम के अधीन गठित समिति की संस्तुति के आधार पर पेंशन स्वीकृति के सम्बन्ध में आदेश जारी किये जायेंगे।

(छ) पेंशन स्वीकृति के आदेश की एक प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून को भी पृष्ठांकित की जायेगी।

7. पेंशन का सवितरण और लेखे रखना

(क) निदेशक, संस्कृति निदेशालय द्वारा पेंशन स्वीकृति के आदेश निर्गत होने के दो माह के अन्दर पेंशन की धनराशि का नियमित भुगतान पेंशन प्राप्तकर्ता को किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ख) पेंशन भुगतान का लेखा संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड द्वारा रखा जायेगा।

(ग) संस्कृति निदेशालय द्वारा रखे गये पेंशन के लेखों की लेखा परीक्षा महालेखाकार, उत्तराखण्ड द्वारा, निदेशालय के लेखों की लेखा परीक्षा के समय की जायेगी।

8. पेंशन के भुगतान की प्रकिया

(क) मासिक पेंशन की धनराशि का आहरण–वितरण निदेशक, संस्कृति निदेशालय या उनके द्वारा या शासन द्वारा अधिकृत आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उसी कोषागार से किया जायेगा, जिस कोषागार से संस्कृति निदेशालय का आहरण–वितरण किया जा रहा हो।

(ख) स्वीकृत मासिक पेंशन की धनराशि संस्कृति निदेशालय के मुख्यालय में चैक द्वारा तथा मुख्यालय से बाहर के स्थानों पर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से नियमित रूप से सम्बन्धित व्यक्तियों को हर महीने की 10 तारीख तक भेजी जायेगी।

(ग) इस योजना के लिए आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक ही कोषागार से धनराशि आहरित की जायेगी।

(घ) इस योजना में होने वाला व्यय समय–समय पर शासन द्वारा संस्कृति के लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति –001–निदेशन तथा प्रशासन–03–सांस्कृतिक कार्य निदेशालय–आयोजनागत–102- कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन–80–वृद्ध कलाकारों लेखकों की मासिक पेंशन–20सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता (अनुदान संख्या–11) के नामें डाला जायेगा।

9. पेंशन का बन्द करना

(क) इस नियमावली के अधीन स्वीकृत पेंशन किसी भी समय बिना कोई कारण बताये अथवा नोटिस दिये निरस्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित आधार पर भी किसी भी समय बिना कारण बताये पेंशन समाप्त की जा सकती है:–

(1) अनैतिक कार्यो में संलप्तिता पाये जाने पर।

(2) राष्ट्र–विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण।

(3) यदि गलत सूचना या गलत तरीके/ढंग से पेंशन प्राप्त कर ली गयी हो.

(4) किसी अपराधिक कार्यवाही में न्यायालय से दोषी पाये जाने/दण्डित होने पर,

(5) यदि किसी समय पेंशन की राशि के अतिरिक्त अन्य स्रोता स पेंशनर की मासिक आय ₹ 3000/– (रू0 तीन हजार) से अधिक बढ़ जाती है। (आय में अभिवृद्धि होने की सूचना तुरन्त देने के लिए पेंशनर बाध्य होगा)।

(ख) पेंशनर राज्य सरकार को लिखित सूचना देकर पेंशन लेने से इकार कर सकता है, और ऐसे विकल्प को एक बार प्रस्तुत किये जाने पर उसे वापस नहीं लिया जा सकेगा।

10 पेंशन का संकमण या राशिकरण का न किया जाना। इस नियमावली के अधीन स्वीकृत पेंशन का संकमण अथवा राशिकरण नहा किया जा सकेगा, और ऐसी पेंशन पाने वाले व्यक्ति अपनी पेंशन की प्रतिभूति पर कोई ऋण या अग्रिम धनराशि नहीं ले सकेगा।

11. व्यावृत्ति इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी शासन द्वारा, ऐसे व्यक्ति को जो शासन के मत में विशिष्ट वृद्ध कलाकार या लेखक हो, को मासिक पेंशन स्वीकृत की जा सकती है।

12. निरसन इस नियमावली के प्रख्यापन की तिथि से पूर्ववर्ती उ0प्र0 राज्य द्वारा प्रख्यापित उ0प्र0 वृद्व एवं विपन्न कलाकारों/लेखकों को मासिक पेंशन सम्बन्धी नियमावली,1985 उत्तराखण्ड राज्य के सन्दर्भ में निरसित समझी जायेगी किन्तु निरसन से पूर्व उक्त नियमावली के तहत कृत कार्यवाही अथवा स्वीकृत की गयी पेंशन यथावत रहेगी और उसको एतदद्वारा प्रख्यापित नियमावली के तहत की गयी कार्यवाही माना जायेगा।

राकेश शर्मा
प्रमुख सचिव

संख्या– 193 (1)/VI-I/2010, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
(2) महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(3) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(4) निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(5) निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
(6) समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
(7) स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
(8) विभागीय आदेश पुस्तिका।

(श्याम सिंह)
अन सचिव

अनुलग्नक

प्रार्थना पत्र का प्रारूप

1. प्रार्थी / प्रार्थिनी का नाम.....
2. प्रार्थी / प्रार्थिनी के पिता / पति का नाम.....
3. प्रार्थी / प्रार्थिनी का पूरा पता.....
   .....
4. स्थाई पता.....
   .....
5. तिथि जब से प्रार्थी / प्रार्थिनी उत्तराखण्ड का निवासी है.....
   .....
6. आयु और जन्म दिनांक (प्रमाण–पत्र संलग्न किये जायें).....
7. प्रार्थी / प्रार्थिनी की नियमित आय–
   (क) आवेदन पत्र के दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती.....
   वित्तीय वर्ष के दौरान (वार्षिक आय).....
   (ख) वर्तमान आय (मासिक) .....
   (ग) उपरोक्त आय स्रोतों का पूर्ण विवरण.....
8. परिवार के आश्रित सदस्यों की संख्या, उनका सम्बन्ध, आय, उपजीविका और आय के श्रोत आदि कोई हो।

क0स0	नाम	उम्र	सम्बन्ध	पेशा	आय के स्रोत
(1)					
(2)					
(3)					
(4)					
(5)					

9. ऐसी स्थाई सम्पत्ति जिसका स्वामित्व प्रार्थी के स्वयं या पत्नी / पति या बच्चों के नाम हों, उसकी अवस्थित भूमि का क्षेत्रफल तथा मूल्य।
10. किस विधा के कलाकार / साहित्यकार है?
11. क्या आवेदक को राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अकादमी / संस्था से कोई वित्तीय सहायता मिली है? यदि हाँ तो उसकी राशि और वर्ष।
12. सरकार या किसी प्रमुख कला सोसायटी संस्था से प्राप्त मान्यता का विवरण।
13. उपलब्धियों का विवरण:–
    क– शैक्षिक योग्यता (डिग्री / डिप्लोमा)–
    ख– प्राविधिक योग्यता (डिग्री / डिप्लोमा)–
    ग– पुस्तकें / सृजनात्मक लेखा आदि के प्रकाशनों की संख्या का विवरण–

घ– अकाशवाणी व दूरदर्शन से किये गये महत्वपूर्ण प्रसारणों का विवरण–
ड– अन्य उपलब्धियों का विवरणः–

14. संगीत / नृत्य / नाटक / साहित्य के विशिष्ट व्यक्तियों के नाम तथा पते जो प्रार्थी की उपलब्धियों से परिचित हो–

1–
2–
3–
4–

15. क्या आप अनुसूचित जाति / जनजाति के हैं? (यदि हां तो प्रमाण पत्र लगायें।

मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक यह शपथ लेती / लेता हूँ कि उपरोक्त विवरण पूर्णतया सही है, यदि कोई विवरण गलत हो तो शासन को अधिकार होगा कि मेरी पेंशन बन्द कर दें और जो भी धनराशि मुझे पेंशन के रूप में दी गयी है वह भूमि कर के बकाये की तरह वसूल कर ली जाय।

दिनांक.....

प्रार्थी / प्रार्थिनी के हस्ताक्षर

टिप्पणी–निम्न प्रमाण–पत्र अवश्यक लगायें, तभी आवेदन पत्र पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

क– कलाकार / साहित्यकार होना सिद्ध करने वाले प्रमाण–पत्र।
ख– हाई स्कूल प्रमाण–पत्र अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त आयु प्रमाण पत्र।
ग– तहसीलदार / परगना मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण–पत्र।
घ– जिला प्रशासन की संस्तुति।